निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 32/2020
दायरा दिनांक :– 02.03.2020
निर्णय दिनांक :– 26.8.22

उनवान

राहुल महावर आयु 23 साल पुत्र श्री घांसी लाल जाति कोली निवासी बारां तहसील व जिला बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट
निर्णय दिनांक :– 26.8.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। कि वाके ग्राम गजनपुरा तहसील व जिला बारां में आराजी वर्तमान खाता सं0 102 पुराना 96 की खसरा नं0 524 रकबा 1.57 हैक्टर किस्म माल द्वितीय लगानी 18.84 रूपया, कुल किता 1 कुल रकबा 1.57 है0 बखाता नाबालिग भवानीशंकर पुत्र श्री घांसी लाल सरंक्षक सरपस्त पिता हिस्सा पूर्ण जाति कोली सा0 कोटा रोड गुरूद्वारे के सामने बारां स्थित है। जो वादी के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सं0 2070 से 2073 से होती है।

यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित आराजी को वादी की नाबालिग अवस्था में पिता श्री घांसीलाल पुत्र श्री किशनलाल जाति कोली निवासी कोटा रोड बारां ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2007 को खरीद की थी उस समय वादी नाबालिग था जिसे घर पर बोल चाल की भाषा में भवानीशंकर के नाम से पुकारते थे। इसलिये सहवन से वादी के पिता ने विक्रय पत्र में वादी का घर का नाम भवानीशंकर दर्ज करवा दिया था जबकि वादी का वास्तविक नाम राहुल महावर पुत्र श्री घांसीलाल जाति कोली निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां राज0 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:19:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

जिसकी पुष्टि वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवार्चन नामावली, बैंक पास बुक एवं विद्यालय रिकार्ड के दस्तावेजों से होती है जिनकी प्रतियां वाद पत्र के साथ सलंग्न है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राहुल महावर के स्थान पर नाबालिग भवानीशंकर दर्ज होने से वादी उक्त आराजियात पर के0सी0सी0 बनवाने व सरकारी लाभ, मुआवजा राशि प्राप्त करने से वंचित हो रहा है तथा बैंक द्वारा वादी का नाम आधारकार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी व विद्यालय रिकार्ड आदि से मिलान ना होने व राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नाबालिग दर्ज होने के कारण के0सी0सी0 बनाने से साफ मना कर दिया। जबकि वादी बालिग हो चुका है। जिसकी बालिग होने की पुष्टि संलग्न दस्तावेज से होती है। किन्तु नाम गलत व नाबालिग दर्ज होने से वादी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है इस कारण वादी को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिये न्यायहित में वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वर्तमान खाता सं0 102 पुराना 96 की खसरा नं0 524 रकबा 1.57 है0 किस्म माल द्वितीय लगानी 18.84 रूपया, कुल किता 1 कुल रकबा 1.57 है0 वाके ग्राम गजनपुरा तहसील बारां राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में नाबालिग का नोट हटाया जाकर वादी का नाम नाबालिग भवानीशंकर पुत्र श्री घांसीलाल जाति कोली निवासी गुरूद्वारे के सामने कोटा रोड़ बारां के स्थान पर राहुल महावर पुत्र श्री घांसीलाल जाति कोली निवासी गुरूद्वारे के सामने कोटा रोड़ बारां दर्ज करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है। इस हेतु वाद पत्र पेश है।

वादी ने दिनांक 20.02.2020 को प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में भवानीशंकर के स्थान पर आधार कार्ड व विद्यालय रिकार्ड के अनुसार राहुल महावर दर्ज करने व नाबालिग का नोट हटाने की कहने पर प्रतिवादी व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा मना करने पर दिनांक 20.02.2020 को बारां तहसील बारां में अंतिम बार वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम गजनपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 102, नकल जमाबन्दी ग्राम गजनपुरा सम्वत 2062–2065 खाता सं0 33 नकल विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2007 चतरा पुत्र रतनलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम नलका द्वारा भवानीशंकर पुत्र मांगीलाल नकल आधार कार्ड राहुल महावर, नकल राशन कार्ड घांसीलाल, नकल टी0सी0 रा0उ0मा0 विद्यालय कोटा, अंकतालिका शिव ज्योति माध्य0 विद्यालय कोटा, बैंक पास बुक की फोटोप्रति बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड़, वोटर आईडी राहुल द्वारा 10 ... के स्थान पर शपथ–पत्र पेश किया। वार्ड पार्षद नगर परिषद बारां द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 11.03.2022 नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:19
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी ग्राम गजनपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 102 पेश की गई। साक्ष्य वादी में राहुल महावर का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि ग्राम गजनपुरा के वादी के नाम से भूमि कय की गई थी। वादी के पिता जी द्वारा वादी की नाबालिग अवस्था में वादी के नाम रजिस्ट्री करवाई गई। उक्त बेचान पत्र में नाबालिग भवानीशंकर पुत्र घांसीलाल के नाम से रजिस्ट्री करवाई गई। जबकि वादी का नाम स्कूल, बैंक, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम राहुल दर्ज करवा दिया गया। जब भूमि की रजिस्ट्री करवाई तब वादी नाबालिग था तथा भवानीशंकर के नाम से रजिस्ट्री करवा दी और अन्य दस्तावेज में राहुल दर्ज करवा दिया गया। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भवानीशंकर पुत्र घांसीलाल दर्ज है तथा अन्य दस्तावेज में राहुल पुत्र घांसीलाल है। प्रार्थी का वाद स्वीकार कर वादी का नाम भवानीशंकर उर्फ राहुल महावर दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम गजनपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 102 के अनुसार नाबालिग भवानीशंकर पुत्र घांसीलाल के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम गजनपुरा सम्वत 2062–2065 खाता सं0 33 में चतरा पुत्र रतनलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम नलका के खातेदारी में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में नामा0 सं0 341 बेचान दिनांक 08.08.2007 से केता भवानीशंकर पुत्र घांसीलाल जाति कोली के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ का नोट अंकित है, नकल विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2007 के अनुसार चतरा पुत्र रतनलाल द्वारा भवानीशंकर नाबा0 पुत्र घांसीलाल जरिये नाबा0 भवानीशंकर का वली सरंक्षक पिता स्वयं घांसीलाल पुत्र श्री किशनलाल जाति कोली को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से बेचान किया जाना पाया जाता है। फोटो प्रति आधार कार्ड राहुल महावर पुत्र घांसीलाल फोटोप्रति राशन कार्ड नं0 00528 घांसीलाल पुत्र किशनलाल में राहुल का नाम कम सं4 पर दर्ज है। टी0सी0 राज0 उच्च माध्य0 विद्यालय बाारां में राहुल महावर दर्ज है। फोटोप्रति बैंक पास बुक बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में भी राहुल का नाम अंकित हे। फोटो प्रति वोटर आईडी में भी राहुल महावर अंकित है। शपत्र पत्र 100/– के स्टाम्प पर राहुल महावर द्वारा लिखकर दिया है जिसमें अपना वास्तविक नाम राहुल पुत्र घांसीलाल जाति कोली निवासी बारां होना बताया है। वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 4 नगर परिषद बारां द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया। जिसमें लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है। कि श्री राहुल महावर उर्फ भवानीशंकर पुत्र घांसीलाल निवासी बारां का वास्तविक नाम राहुल है जिसको भवानीशंकर के नाम से जाना जाता है उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह तथ्य सामने आये है कि वादी राहुल महावर के नाम नाबा0 अवस्था में भवानीशंकर के नाम से रजिस्टर्ड विकय पत्र करा दिया था। परन्तु बड़े हाने पर उसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:19:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

नाम राहुल महावर स्कूल में दाखिला करा दिया। वादी का नाम अन्य सभी दस्तावेजों में राहुल महावर दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में भवानीशंकर दर्ज है। प्रार्थी/वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में भवानीशंकर पुत्र घासीलाल के स्थान पर राहुल उर्फ भवानीशंकर दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा समस्त दस्तावेजों एवं स्वयं के शपथ पत्र व वार्ड पार्षद नगर परिषद बारां द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर भवानीशंकर उर्फ राहुल दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:–**क्रियात्मक आदेशः**–

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गजनपुरा तहसील बारां के ख0नं0 524 रकबा 1. 57 है. भूमि में वादी का नाम भवानीशंकर पुत्र घांसीलाल के स्थान पर भवानीशंकर उर्फ राहुल महावर पुत्र घांसीलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:19:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

... उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

...या 32/20	धारा अंतर्गत 88, 89, RTA	निर्णय दिनांक 26.8.22
...स- श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

राहुल कुमार पुत्र घासीलाल जाति कोली निवासी बारां तह० बारां

बनाम

राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित कृषि भूमि वाके ग्राम गजनपुरा तह० बारां के ख०नं० 524 रकबा 1.54 है० शामिल मे वादी का नाम भवानीशंकर पुत्र घासीलाल के स्थान पर भवानीशंकर उर्फ राहुल कुमार पुत्र घासीलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है।

.... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

साथ ही नियमानुसार ....

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 26.8.22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:19:32 IST
Reason: SelfAttested

व्ययाकुल

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		

Scanned with CamScanner